SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

पारिजात

अंकः61 वर्षः 2024

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

Shot on OnePlus
By DhirendraK

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग

त्रैमासिक हिंदी पत्रिका

पारिजात

अंक 61

प्रकाशक
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

प्रकाशक

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

इस पत्रिका में संकलित सभी रचनाओं में रचनाकारों के विचार निजी हैं, जिससे पारिजात-परिवार का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

स्वात्वाधिकार

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

पारिजात-परिवार

मुख्य संरक्षक

श्री अभिषेक सिंह

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

संरक्षक

श्री विकास आहूजा

उप निदेशक

संपादक

श्री राम प्रकाश पाण्डेय

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

संकलनकर्ता

श्री ललित रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

श्रीमती बबिता मणि, कनिष्ठ अनुवादक

श्री इम्तियाज अहमद, कनिष्ठ अनुवादक

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	रचनाएँ/लेख	रचनाकारों/लेखकों के नाम (श्री/श्रीमती/सर्वश्री)	पृ.सं.
1.	ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन और मार्गदर्शन	संदीप कुमार पाठक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	10
2.	अमृत चखना	हेमलता गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	14
3.	चक्रवाती तूफान 'फानी' से सामना	ललित रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	15
4.	संविधान भरोसे का वादा	हर्षिता दूबे, पत्नी संदीप कुमार पाठक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	18
5.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	इम्तियाज अहमद, कनिष्ठ अनुवादक	21
6.	"मैं", मेरा नाम	एस.ए.जे. नासिर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त)	24
7.	इंटरनेट युग	प्रशांत शुक्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	27
8.	खतरनाक पर्यावरणीय खतराः ध्वनि प्रदूषण	विनीता पाण्डेय, पत्नी नवीन कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	30
9.	परिवार का महत्व	बबिता मणि, कनिष्ठ अनुवादक	33
10.	नई शिक्षा नीति	इम्तियाज अहमद, कनिष्ठ अनुवादक	36
11.	अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ	एम.रहमान खान, डाटा इन्ट्री ऑरपेटर ग्रेड 'बी'	39
12.	ज़मीन	हेमलता गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	42
13.	विनाशकारी कोरोना	अनुश्री विश्वकर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	44
14.	क्या बात थी	बबिता मणि, कनिष्ठ अनुवादक	45
15.	गज़ल	इम्तियाज अहमद, कनिष्ठ अनुवादक	46
16.	जय श्रीराम	संकेत अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल, लेखापरीक्षक	47
17.	पति-पत्नी	शमा खातून पत्नी एम.रहमान खान, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी'	50

प्रधान निदेशक की कलम से

कार्यालय की हिंदी ई-पत्रिका "पारिजात" के 61वें अंक का प्रकाशन अत्यंत हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है। मुझे खुशी है कि इस कार्यालय द्वारा राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय का लगभग शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में किए जाने के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस ई-पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों को अपने विचार को अभिव्यक्त करने का यह सुनहरा मौका है।

मैं ई-पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि ई-पत्रिका में उल्लिखित विचार, लेख इत्यादि उच्चतम गुणवत्ता ई-पत्रिका को उत्कर्ष की ओर ले जाने में सक्षम होंगे।

ई-पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

श्री अभिषेक सिंह
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

उप निदेशक की कलम से

मुझे आप सभी को यह बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही कि महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर की ई-पत्रिका "पारिजात" के 61वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति बढ़ती लोकप्रियता को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। यह पत्रिका कार्यालय के सभी कर्मियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में प्रचलित है। इसको अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी राजभाषा हिंदी हम सभी के बीच में अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में काफी लोकप्रिय है।

अंत में मैं "पारिजात" ई-पत्रिका के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हुए ई-पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मंडल एवं सभी रचनाकारों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

श्री विकास आहूजा
उप निदेशक

संपादकीय

यह सर्वविदित तथ्य है कि हिंदी भाषा सामान्य काम-काज में एक सुचारू माध्यम होने के साथ-साथ हमारी संपर्क भाषा भी बन चुकी है। हिंदी भाषा के विकास हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से सीधे तौर पर जुड़ चुकी है।

ई-पत्रिका "पारिजात" का 61वां अंक आपके समक्ष है। इसमे कार्यालय के सुधी रचनाकारों ने अपना योगदान दिया है, जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक लेखन क्षमता परिलक्षित होती है।

मैं आशा करता हूँ कि प्रधान निदेशक महोदय के कुशल संरक्षण एवं उप निदेशक महोदय के प्रेरणादायी मार्ग दर्शन में यह ई-पत्रिका नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

श्री राम प्रकाश पाण्डेय
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन और मार्गदर्शन

श्री संदीप कुमार पाठक,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

खेलों के महाकुंभ ओलंपिक खेलों में भारतीय दल सबसे अधिक खिलाड़ियों के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुँचा और भारत के नागरिकों में इतनी संख्या को देखकर अपनी आशाओं, दशाओं, असमानताओं, दुर्लभ संसाधनों की अनापूर्ति और देश में फैली सामाजिक असमानता को भूलकर उन मुट्ठीभर खिलाड़ियों से कुछ ज़्यादा ही आशा कर रखी थी, भारतीय दल के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण और दोषी सारे सिस्टम को ठहराया गया। खेलों को केवल मैडल जीतने का ज़रिया बना रखा है जो मैडल जीतकर लाएगा उसे करदाताओं की खून पसीने की कमाई का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा लुटा दिया जाता है जिससे खेल भावना वह हारे खिलाड़ियों की भावनाओं को आघात पहुँचता है, जो आदर्श प्रदर्शन करेगा वही सरकारी सेवाओं का लाभ उठा पाएगा आदि।

इन सभी क्रियाकलापों से खेल की भावना "खेलो, जुड़ो, घुलो-मिलो, जानो, समझो, आपस में मेल बढ़ाओ" एक दूसरों को सम्मान दो। खेल को लोगों, उनके स्वास्थ्य, उनके निजी जीवन, उनके मानसिक विकास, शारीरिक विकास से जोड़ना है ना कि मैडल लाना है। हमें एक मैदान पर एक खिलाड़ी जीत तो दिला सकता है लेकिन भारत के खेलों की स्थिति सुधारने, खेलों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हमें देश की सारी जनसंख्या को खेलों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा, तभी जाकर अद्भुत खिलाड़ी अपने आप निकल कर आएँगे, ना कि वह देश का प्रतिनिधित्व करें जो अमीरी के दम पर पहले करोड़ों खर्च करके कोचिंग लेते हैं फिर खेलते हैं और एक आधा बार जीतकर देश के नेता उन्हें पूरी भरपाई करते हैं और बाकि जनता खड़ी रह जाती है और भारत की स्थिति भी वैसी की वैसी-की-वैसी बनी रहती है।

भारतीयों की मानसिकता बड़ी अजीब है हमें पता है कि देश में जनता को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है देश में खेलों के नाम पर क्या-क्या कारनामे और घोटाले 2010 में प्रशासन ने किए थे फिर भी हम अपनी आशाएं इतनी बड़ी कर लेते हैं उसे व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर लेने लगते हैं और खिलाड़ी अगर हार जाए तो उसे मारने-पीटने पर उतारू हो जाते हैं। पहले तो हमें क्रिकेट के अलावा और कुछ दिखता नहीं है और फिर भी हम कहते हैं कि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा ? आधे से अधिक युवा क्रिकेट खेलने में लगा है और बाकी के पास संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं है इस कारण वे अपनी तसल्ली के लिए गिल्ली-डंडा, कंचे, जैसे खेल अपने मोहल्ले की छोटी-छोटी गलियों में खेलकर अपना मन बहला लेते हैं।

हम भारतीयों को प्रतिष्ठा का प्रतीक बनने की बहुत जल्दी होती है और हम आदमी को भगवान बना कर खेलों व खिलाड़ियों की पूजा करने लगते हैं, हमारा मीडिया कमियों को बताने की जगह बड़ी-बड़ी हाकता है खिलाड़ियों को सिर पर चढ़ाने के लिए तरह-तरह की मनगढ़ंत कहानियां रचता है और लोग भी उन कहानियों को असली मानकर मीडिया की कहानियों को सच मान लेते हैं खिलाड़ियों को भगवान कहने लगते हैं लेकिन जब खेल समाप्त हो जाता है सच सामने आना शुरू होता है तो मीडिया अपनी बातों को घुमा कर पेश करने लगता है और दोष खिलाड़ियों, राजनेताओं, प्रशासन सभी की तरफ मोड़ देता है असलियत जानने की कोशिश कोई नहीं करता ज़मीनी हकीक़त क्या है इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है।

संसार में कहीं भी पैसों के दम पर ट्रेनिंग लेकर, प्रतिभा हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि अच्छे खिलाड़ियों की पौध बचपन से ही तैयार की जाती है बड़े होकर उनमें से कुछ देश का नाम रोशन करेंगे और खेल की भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ जाएंगे ना कि रोज़गार पाने, राजनेता बनने के लिए खेलना को खेलना चाहेंगे। सरकारों को विजेता खिलाड़ियों को पैसे का लोभ देना बंद करना होगा अगर खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियाँ तरह-तरह की सहूलियत दी जाती है तो फिर उन्हें करदाताओं की मेहनत की कमाई में से करोड़ों क्यों दिए जाते हैं। केंद्र, राज्य अपनी-अपनी शेख़ी बघारने के लिए पैसे लुटाने लगते हैं, ऐसा बंद होना चाहिए बल्कि उन पैसों का इस्तेमाल खेलों की ज़मीनी स्तर पर मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में, खेलों को छोटे-छोटे गांव में बढ़ावा देना चाहिए। खेलों को पैसे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, खेल स्वास्थ्य से जुड़ा है।

विद्यालयों में बड़ी-बड़ी इमारतें बनाकर खेल के मैदानों को खत्म किया जा रहा है तो फिर भी लोग ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को निराशाजनक क्यों कहें? विद्यालय में पी टी टीचर नहीं है, सामुदायिक केंद्र पर ताले लगे रहते हैं, माता-पिता का उनके बच्चों की सेहत के लिए तरह-तरह के खेल खेलने देना, पौषण की पूर्ति कर पाना मुश्किल हो रहा है, सामाजिक असमानता ने लोगों की दुर्दशा की है और खाने के मोह-ताज लोग खेल कहां खेलेंगे? खेलों में वंशवाद, जाति वाद, अमीरीपन, लोभ, लालच, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता का ना होना, उत्तरदायित्व, ज़िम्मेदारी व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का ना होना, केवल मैडल पर ध्यान लगाना न कि खेलने की भावना का विकास करना। नैतिक शिक्षा, खेल शिक्षा, शारीरिक विकास की शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहिए। बचपन से दी गई प्रेरणा, आत्मविश्वास उनके जीवन, स्वास्थ्य व देश की गरिमा को आगे बढ़ाएंगे और देश को अनगिनत मैडल दिलाएंगे।

चीन ने छोटे-छोटे कस्बों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मैदान स्टेडियम आदि का निर्माण करवाया, वो सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध है इसलिए नहीं कि चीन को मैडल जीतने थे बल्कि उसे अपनी जीडीपी का अधिकतर हिस्सा जनता के स्वास्थ्य व सेवाओं के लिए खर्च किया, स्वास्थ्य, खेल

खेलने से अच्छा और कैसे ठीक रह सकता है अस्पतालों से तो बिल्कुल नहीं रह सकता है। खेल आयोगों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण अनिवार्य है, आयोगों को शक्ति देना उचित नहीं है, बल्कि शक्ति का बँटवारा होना चाहिए जिससे सभी को आगे आने का मौका मिलेगा और सभी देश का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। मोहल्लों की खेल-सभाओं में खेल प्रतिस्पर्धा से लोगों की प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। खेल मंत्रालय होने के बावजूद खेलों की यह दुर्दशा हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मंत्रालय को देश में मैडल की संख्या बढ़ाने पर नहीं खेलों को लोगों से कैसे जोड़ा जाए उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोगों को घरों से निकालकर खेल के मैदान में आने को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए तभी खेलों के महान खिलाड़ियों की फ़ौज तैयार होना संभव हो पाएगा।

निष्कर्ष निकालने से पहले हमें मूल्यांकन करना चाहिए अपना, दूसरों का, देश का, देश के संसाधनों का, तभी हमें ज़मीनी समस्या का पता चलेगा। खेलों को प्रोत्साहित करना व सारी जनता के जीवन में स्वास्थ्य कल्याण के रूप में क्रांतिकारी अभियान चलाना थोड़ा कठिन है लेकिन भारत में मानव संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के दम पर खेलों को जीवन में लागू करना आसान है।

भारतीयों के जीवन में खेलों को शामिल करने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करना:-

- भारतीय टीम में कुछ सुनहरे खिलाड़ी भी हैं जो हमें मैडल दिला सकते थे तो कुछ आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी भी थे जिनको अगर सरकार सुविधाएँ मुहैया कराती तो वे ज़रूर मैडल जीतते लेकिन प्रशासन की कमियाँ, अपारदर्शिता हमें असफलता देती है।
- भारतीय खेल व्यवस्था में अभी सूचना प्रौद्योगिकी की कमी है जिससे खिलाड़ियों तक सूचनाओं का देर से पहुँचना और अंतरराष्ट्रीय नियमों से अनजान रह जाना।
- खेल में प्रशासन की कमियों से, खिलाड़ियों और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचता है। हमें खेल प्रशासन में ढाँचागत सुधारों की जरूरत है भारतीय परंपरागत मूल्यों के साथ नए व अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप अपने आप को ढालने की आवश्यकता है।
- खेलों को परंपरागत मूल्यों के साथ बढ़ावा देना, लोगों के जीवन में शामिल करना होगा शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना स्वच्छता व स्वास्थ्य और नैतिक शिक्षा को अपनाना चाहिए।

भारत को अपनी मानव संसाधनों, भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक परंपराओं को समझ कर आगे बढ़ना होगा मीडिया को खेलों के ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए बल्कि उसे एक ख़बर की तरह पेश करना चाहिए ना कि तहलके की तरह, लोगों को सच से परिचित कराना चाहिए और सबसे अहम बात कि अगर भारत 119 में से 119 मैडल जीत भी जाता है तो क्या एक ही पल में भारत की असली समस्याएं खत्म हो जाती हैं कि आप सभी स्वस्थ हो जाते हैं क्या कोई बीमार नहीं रहता, **तो क्यों ना हम ज़मीनी स्तर से शुरू करें**-

- बचपन को प्रोत्साहित और युवाओं को प्रेरित करें।
- छोटी-छोटी बस्तियों, गांवों में खेलों से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराएं, उन्हें खेलों से जोड़े।
- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से खिलाड़ियों को गांव-गांव में सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ऑनलाइन खेल प्रशिक्षण से जोड़े और सभी को भाग लेने का अवसर दें।
- पूंजी-पतियों को खेलों से दूर रखें वरना जनता खेलों से वंचित रह जाएगी और भारत ओलंपिक में हाथ मलता रह जाएगा।
- खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देना ना कि उन्हें गाली देकर अपमानित करना उससे हल नहीं निकलने वाला है।
- संतोषम परम सुखम, इसी भाव के साथ हमें स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में खेलों वो योग को बढ़ावा देना होगा, जिससे रोगियों की संख्या में कमी आएगी और भारत की पूँजी का सही ढंग से इस्तेमाल संभव हो पाएगा ।
- खेलों में अनुसंधान व विकास के द्वारा विज्ञान को प्रोत्साहित करके भी खेलों और खिलाड़ियों का फ़ायदा होगा ।

जीवन में खेलों को शामिल करो
लोगों को स्वस्थ करो
भारत को विकसित करो
ओलंपिक में मैडल धरो।

******

अमृत चखना

श्रीमती हेमलता गुप्ता,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

बड़ा मुश्किल होता है सफर एक माँ के लिए अपने सोते हुए बच्चे को छोडकर घर से बाहर जॉब पर जाने का। दूध भीगे होठों और उनींदी आँखों से माँ का आँचल पकड़ कर सोये बच्चे से आँचल छुड़ा कर जाने की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है।

बच्चा जब उठेगा तो "मम्मा-मम्मा"कर थोड़ी देर रोएगा, अपनी उनींदी आँखों से चारों ओर माँ को खोजेगा। जब माँ नहीं मिलेगी तो अपने नन्हें-नन्हें हाथों से आंखे मलता उदास सा अपनी दादी या घर के किसी बड़े सदस्य के पास चला जाएगा। अक्सर ढूंढता है अपनी दादी की गोद में माँ की गोदी, बड़ी बहन के गले लग महसूस करता है माँ की खुशबू।

समय से पहले ऐसे बच्चे बड़े और जिम्मेदार हो जाते हैं, लेकिन माँ अपने इन मासूम से जिम्मेदार बच्चों को भरी आँखों से ही देखती है। पता नहीं उस माँ में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, जो ममता और कर्तव्य के बीच भरी आँखों से अपने बच्चों को समय से पहले जिम्मेदार बनते हुए देखती रहती है। कहती किसी से भी कुछ नहीं।

सुबह के नाश्ते से रात के डिनर तक, बच्चों के टिफिन से पति के कपड़ों तक, बहुत बेहतर मैनेज करती है। फिर भी मन का एक कोना लगा रहता है कहीं ... कि बच्चों को बादाम पीस कर नहीं दे पाई, फ़ायदा करता है। आज शाम पार्क ले जाती तो कितने खुश होते ...हर पल कहीं न कहीं कुछ छूटा सा लगता है।

जरूरी मीटिंग्स और फ़ाइल्स में घिरी रहने के बाद भी - बच्चे ने खाया या नहीं, सोया या नहीं, इसी चिंता में लगे रहना। वातानुकूलित कमरे में काम करती माँ बच्चों से दूर कभी रिलैक्स रह ही नहीं पाती। घर पहुंची तो बच्चे के टेढ़े-मेढ़े बाल, नंगे पैर दौड़ कर माँ से लिपटने की खुशी...

बाहर से बेहद मजबूत नौकरीपेशा महिला अंदर से बेहद नर्म एक माँ ही होती है। सुबह से छूटा हुआ बच्चा शाम को जब दौड़कर गोदी चढ़ता है, अपनी मासूम बोली में दिन भर की बातों का पिटारा खोल कर बैठ जाता है, तो मानों सारे कायनात की खुशियाँ मिल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे यही स्वर्ग का सुकून है। मानों इस सुकून के लिए सदियाँ गुज़र गई हों। यही मातृत्व है। सच है, स्त्री के मूल गुण में मातृत्व ही है। इसी मातृत्व का सुख भोग लेना ही अमृत चख लेना है।

******

चक्रवाती तूफान 'फानी' से सामना

श्री ललित रंजन,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

ये घटना सन 2019 की है जब मैं मौसम विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर में वैज्ञानिक सहायक के पद पर कार्यरत था । मौसम विभाग का मुख्य कार्य वर्तमान और पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी लोगो/अन्य विभाग को प्रदान करना है, जिसका उपयोग नौवहन, विमानन, कृषि, सिंचाई आदि जैसी मौसम-संवेदनशील गतिविधियों में किया जा सके । मौसम विभाग का पूर्वानुमान वाला कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण भी होता है, जिस कारण मेरी रुचि इसमे ज्यादा थी।

26 अप्रैल 2019 को पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दबाव का झेत्र बना जो 27 अप्रैल 2019 को चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो गया । जिसका नाम फ़ानी रखा गया जो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नाम था जिसका मतलब साँप होता है । विश्व मौसम विज्ञान संगठन उन नामों की घूर्णनशील सूचियाँ रखता है जो प्रत्येक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेसिन के लिए उपयुक्त हैं। जिससे भविष्य में आने वाले चक्रवात का नाम पहले से ही तय रहता है ।

चक्रवात हवा की गति के आधार पर 5 प्रकार का होता है 1. चक्रवाती तूफान (62-87 किलोमीटर प्रति घंटा), 2. भीषण चक्रवाती तूफ़ान (88-117 किलोमीटर प्रति घंटा), 3.बहुत भीषण चक्रवाती तूफ़ान(118-167 किलोमीटर प्रति घंटा), 4.अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफ़ान(168-221 किलोमीटर प्रति घंटा), 5.सुपर चक्रवात (222 किलोमीटर प्रति घंटा या अधिक)। जितनी ज्यादा हवा की गति उतना मजबूत चक्रवात उतनी ज्यादा बारिश उतनी ही तेज और ऊंची समुद्र की लहरे और अन्ततः उतनी ही ज्यादा तबाही ।

शुरू में चक्रवात के आंध्रप्रदेश तट पे टकराने की संभावना थी लेकिन 29 अप्रैल 2019 को मार्ग में परिवर्तन होने के कारण ओड़ीशा के तट पर टकराने का पूर्वानुमान हो गया । जिससे कार्यालय में एक अलग ही हलचल होने लगी मैंने इसके पहले चक्रवात को सिर्फ टीवी में ही देखा था और पहली बार अपने आंखो से देखने का उम्मीद मात्र से ही रोमांचित हो गया । कुछ -कुछ घंटो के अंतराल पे नेशनल बुलेटिन प्रकाशित होने लगा जिससे चक्रवात की वर्तमान स्थिति तथा आगे का मार्ग और होने वाली मौसम संबंधी चेतावनी को बताया जाता था, इस खबर को पाने के लिए लोकल रिपोर्टर के साथ साथ नेशनल रिपोर्टर का भी तांता लगा हुआ था । फानी एक "अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफ़ान" होने वाला था जो 1999 में पारादीप तट पे टकराए सुपर चक्रवात के बाद का सबसे भीषण चक्रवात हो सकता था ।

02 मई 2019 के अंतिम नेशनल बुलेटिन जो रात को 10:30 मे आया से पता चला यह पुरी तट से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर है और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुरी तट की ओर बढ़ रहा है और अगले पूर्वाह्न तक तट पे टकरा सकता है जिसके बाद इसके मार्ग में भुवनेश्वर भी आ सकता है ।

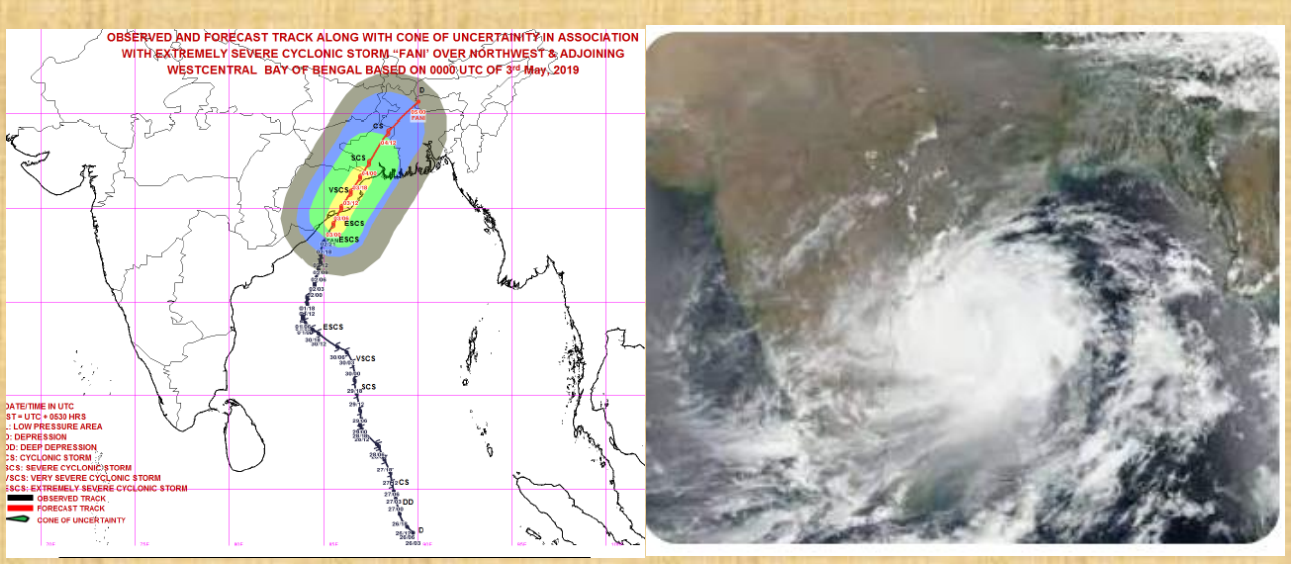

(चक्रवात का मार्ग एवं उपग्रह से लिया गया चित्र)

यह खबर जानने के बाद मैं अपने घर पे आ गया अगले दिन सुबह 6 बजे ही कार्यालय जाने के लिए निकल पढ़ा मौसम बहुत सामान्य था हल्की-हल्की हवा के साथ बारिश हो रही थी, जो तूफान आने से पहले के खामोशी की तरह लग रहा था।

(चक्रवात के बाद पुरी रेलवे स्टेशन का नजारा)

03 मई 2019 के सुबह 8 बजे से चक्रवात पुरी तट के निकट टकराना शुरू हो गया चूंकि चक्रवात का व्यास 200 से 500 किलोमीटर होता है इसलिये लैंडफॉल का प्रोसैस 3-4 घंटे तक का रहता है । 8 बजे के बाद से पुरी में जो मेरे सहकर्मी थे उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क नही हो पा रहा था । लगभग 10 बजे भुवनेश्वर में भी तेज हवाएँ बहनी शुरू हो गया जो धीरे-धीरे मेरी कल्पना से भी ज्यादा तेज हो गया । हवाओं के बिल्डिंग से टकराने पे तेज सिटी की तरह बजना, स्टील के चादरों का पतंग की तरह हवा में उड़ना, कोई ऐसा पेड़ दिखाई न देना जिसको कोई हानि न हुई हो आदि दृश्य को देखकर मेरा रोमांच कब डर में बदल गया मुझे पता भी नही चला । संचार व्यवस्था के साथ साथ बिजली व्यवस्था पूर्वानुमानित तरीके से डप्प हो गयी, चक्रवात की जो जानकारी हम लोगो को दे रहे थे वो जानकारी अब हमे भी नही मिल प रही थी। अगले दिन कार्यालय के निदेशक महोदय के साथ पुरी जाना हुआ रास्ते का वो मंजर आज भी याद आता तो प्रकृति की शक्ति का पता चलता है, जगह-जगह रोड किनारे खड़े बस उल्टे पड़े थे जैसे वो फोम के बने हो , मोबाइल टावर को हवा ने ऐसा घुमाया था जैसे वो लोहे का न होके लकड़ी के हो, सभी बड़े पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो किसी माली ने बढ़ी कैची से झटनी कर दी हो। पुरी का नजारा तो और भी खराब था चक्रवात ने पुरी के तट के किनारे के भी सभी घरो को नुकसान पहुचाया था।

(चक्रवात के बाद तबाही का नजारा)

ओड़िशा सरकार/केंद्र सरकार नें बाद में मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान के लिए काभी तारीफ भी की। में आज भी जब यह सोचता हू अगर इस चक्रवात की पूर्व सूचना लोगो को ना होती तो नुकसान कितना ज्यादा होता । मेरे लिये यह घटना ताउम्र अविस्मरणीय रहेगी ।

******

संविधान भरोसे का वादा

श्रीमती हर्षिता दुबे,
पत्नी श्री संदीप कुमार पाठक,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का अधिकार सर्वोपरि होता है लेकिन क्या उसके नागरिकों के कर्त्तव्यों का ख्याल रखना मायने नहीं रखता। संविधान एक ऐसी गाथा है जो आम इंसान को एक साथ जोड़े रखने का काम करती है। सभी को एक समान अधिकारों से अलंकृत करती है। प्रकृत के नियमानुसार किसी भी जीव को कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है, तो क्या नागरिकों को केवल अधिकारों से अलंकृत करना ठीक होगा?

बिल्कुल नहीं, लोगों की श्रद्धा संविधान में तभी तक बनी रहेगी जब तक आप उनके अधिकारों के बीच नहीं आते। इसलिए नागरिकों को उनके अधिकारों के बदले कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करना अनिवार्य है। ताकि वह अपने अधिकारों का ना तो गलत उपयोग करें, ना ही अपने अधिकारों से किसी दूसरे को प्रभावित करें। क्षति ना हो और ना ही अपने अधिकारों का ढोल पीट कर अपने मनुष्यता भरे जीवन का नाश करके देश की विकास की प्रगति की राह को बाधित करें।

यही कारण है कि हमारी संविधान सभा व बाद में चलकर दूरदर्शी राजनीतिक नेताओं ने कई सारे अधिकारों के बदले हमें कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या केवल संविधान में कर्तव्यों को समाहित कर देना और अधिकारों को लिख देना ही काफी है।

क्या किसी ने कभी सोचा है कि जिन लोगों को अपनी एक वक्त की रोजी-रोटी जुटाने के लिए जूझना पड़ता है, जिनके सिर पर छत नहीं है और एक सरल जीवन जीना भी उन लोगों के लिए आसान नहीं है तो उनके लिए इन कर्तव्यों और अधिकारों के क्या मायने होंगे।

संविधान में आखिर अधिकारों का प्रस्ताव क्यों लाया गया?

ताकि लोग अपने आप को संविधान से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें, एक समान अधिकारों की वजह से एक समान महसूस कर सकें। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की, अलग-अलग धर्म के लोग हों या एक ही धर्म को मानने वाले, क्या सभी अपने आपको एक मानते हैं। विभिन्न राज्यों के लोग भी अपने आपको एक-दूसरे के समान महसूस कर सकते हैं।

अगर बात करें कर्तव्यों की तो सभी एक-दूसरे की ओर उंगली इंगित करते हैं कि तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। तो क्या इन अधिकारों को नागरिकों को देने का कोई अर्थ है? क्या उन्हें इन कर्तव्यों से कोई लाभ होगा? और क्या उन्हें यह अधिकारों भरा कर्तव्य देना सही है?

बिल्कुल सही है, अगर हम अपने नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ, समग्र व भ्रष्टाचार मुक्त समाज दें, जो संविधान की बुनियाद है जिसमें सभी को समान क्षमता का भरोसा हो और वह किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखे। अपने देश की प्रगति की राह को आगे बढ़ाएं। तो हम किसी हद तक अपने नागरिकों

को उसके अधिकारों से अलंकृत और संतुष्ट कर पाएंगे और नागरिकों को उनके कर्त्तव्यों को करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे।

बात रही कर्तव्यों की तो कर्तव्य भी मनुष्य तभी कर सकता है जब वह अपने आप में सक्षम हो। अपने जीवन को सुरक्षित व खुशहाल और सुखमय बना पाएं बिना सृष्टि को नुकसान पहुँचाए। तभी हमारे नागरिक अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर पाएंगे और अपने देश को प्रगति की राह को आगे बढ़ाएंगे।

मूल अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग-3 में सम्मिलित अधिकार नस्ल, जन्म स्थान, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। ये विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। परन्तु हमें इन अधिकारों के साथ-साथ कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी साथ लेकर चलना चाहिए जो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में उल्लेखनीय किए गए हैं। संविधान के भाग-4 में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं और इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। परन्तु एक विकासशील समाज में हमें इन कर्त्तव्यों को अधिकारों से सर्वोच्च रख आगे बढ़ना चाहिए।

हर जगह अधिकार की पुकार है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिक से अधिक अधिकार मिले और वह यह भूल जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का ख्याल नहीं रखता है उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता और दूसरों की परवाह नहीं करता, उनके प्रति निष्ठा नहीं रखता, वह लेना ही लेना चाहता है और उसके हृदय में किसी भी प्रकार देने की गुंजाइश नहीं होती। वह भूल जाता है कि लेने के साथ-साथ देने की भी बात होनी चाहिए। देना और पाना साथ-साथ चलता है इसलिए जहां अधिकार की मांग होती है वहीं कर्तव्यों की पुकार का होना भी स्वाभाविक है। अधिकार मांगने से पहले हमारा कर्तव्य होना चाहिए और हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हमें उन कर्त्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है। तभी हमें संघर्ष से मिले इन अधिकारों की अनुभूति प्राप्त होगी। तभी हम अपने कर्तव्यों को स्मरण करके सत्य निष्ठा और निष्ठापूर्वक उसका पालन करेंगे।

अधिकार तथा कर्त्तव्य साथ साथ चलते हैं एक समाज में अधिकारों की मांग करने वाला व्यक्ति उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक कर्त्तव्य को ना करने वाला व्यक्ति होता है। कर्त्तव्यों को किए बिना अगर अधिकारों की मांग करें तो वह समाज एक बंधन बन जाता है। समाज में कर्त्तव्यों को किए बिना व्यक्ति अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है और कर्त्तव्यों को बिना करे वह दूसरों को और दूसरों के अधिकारों को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता है। समाज एक परिवार की तरह है जिसमें परिवार के हर एक सदस्य के कर्त्तव्य के बाद व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए अपने परिवार से कह सकता है।

जब हम केवल अधिकारों के प्रति सचेत रहते हैं और कर्तव्यों को नकार देते हैं तो उस समय व्यवस्था बिगड़ जाती है और विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि

प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का स्मरण रखें और इन कर्तव्यों को बार-बार स्मरण करके अपने धर्म की भांति उन कर्तव्यों का पालन करें।

असल में देखा जाए तो संविधान में समाहित कर्त्तव्य उसी प्रकार है जिस प्रकार एक माता अपनी संतान को पैदा करने के बाद उसे कुछ कर्त्तव्यों के साथ अलंकृत करती है कि वह बड़ा होते-होते उन कर्त्तव्यों का पालन करेगा और अपनी संतान के अंदर एक वफादार रहने की प्रतिष्ठा पैदा करती है कि वह उन अधिकारों को जो माता अपने बच्चों को देगी उसके साथ-साथ उन कर्त्तव्यों को जो वह माता अपने बच्चे से चाहती है उसको पूर्ण रूप से अपनी भावना के साथ पूरा करेगा।

कर्त्तव्य के मामले में भी गरीब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करने में अथाह परिश्रम करता है वहीं अमीर उन कर्तव्यों पर ध्यान भी नहीं देता है। जिस प्रकार मजदूर से 7 से 8 घंटे काम लेना एक अधिकार है उसी प्रकार उसी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उसके मालिक का कर्तव्य है। हम कर्त्तव्यों को भूल जाते हैं, तब मजदूर विद्रोह करता है और उसके अंदर विद्रोह की भावना अपने मालिक के प्रति पैदा होती है ।

ठीक उसी प्रकार एक देश में अगर एक देश अपने नागरिकों के अधिकारों का ख्याल ना रखें और केवल उनके नागरिकों को कर्त्तव्य को पूर्ण करने के लिए ही प्रेरित करता रहे तो उसके नागरिक भी किसी ना किसी तरीके से विद्रोह करेंगे और अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर वह उस देश के खिलाफ भी जा सकते हैं।

अधिकारों को भूलकर अगर हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे तो प्रत्येक मनुष्य खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा। इन सब से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कर्त्तव्यों को हम स्मरण रखें। प्रेरित होकर कर्त्तव्यों का क्रियान्वयन करें और उसके मूल में प्रतिदान की भावना न रखें। यह हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका प्रतिफल भी हमें अच्छा ही मिलेगा इसी वजह से अगर हम कर्त्तव्यों को ठीक ढंग से निभाएंगे तो हमें अधिकार स्वरूप बहुत सारे अधिकारों से अलंकृत किया जाएगा।

एक देश अपने नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार देना चाहता है परंतु उन कर्त्तव्यों का क्या जो नागरिकों को स्वयं निभाने हैं उन कर्त्तव्यों को नागरिकों को स्वयं पालन करना चाहिए तभी उनकी सरकारें उन्हें अधिक से अधिक अधिकारों से अलंकृत कर पाएंगी।

******

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

श्री इम्तियाज अहमद,
कनिष्ठ अनुवादक

कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया और उसके बारे में "यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के वुद्धिमान मशीनों को बनाने के रूप में पारिभाषित किया।" कृत्रिम बुद्धि का दावा इतना है कि मानव की बुद्धि का एक केंद्रीय संपत्ति एक मशीन द्वारा अनुकरण कर सकता है। वहाँ दार्शनिक मामलों के प्राणी बनाने की नैतिकता के बारे में प्रश्न उठाए गए थे। लेकिन आज, यह प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा बन गया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरूआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी (कृत्रिम) तरीक इसके ज़रिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ़्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णहै और कैसे काम करता

सरकार द्वारा प्रोत्साहन

राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

वर्तमान बजट में सरकार ने **फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट अप** के लिये 480 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3-D प्रिंटिंग और ब्लॉक चेन शामिल हैं। इसके अलावा सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने के योजना बना रही है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 7-सूत्री रणनीति

इससे पहले पिछले वर्ष अक्टूबर में केंद्र सरकार ने 7-सूत्री रणनीति तैयार की थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिये भारत की सामरिक योजना का आधार तैयार करेगी। इनमें प्रमुख हैं:

मानव मशीन की बातचीत के लिये विकासशील विधियाँ बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और R&D के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उन पर काम करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मानक मानकर और बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना।

तकनीकी एकलता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विशेषज्ञ 'टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी' यानी तकनीकी एकलता जैसी किसी स्थिति के आगमन की ओर संकेत करते हैं। यह दो बातों को संदर्भित करता है:

1. भविष्य में एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना की जाएगी, जो मनुष्यों के मस्तिष्क से अधिक तीक्ष्ण हो।
2. यह बुद्धिमत्ता समस्याओं के समाधान बहुत तीव्रता से कर सकेगी, जो कि मनुष्य की क्षमता से परे हो।

माना जाता है कि 2045 तक मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी और इतनी तेज़ गति से सोचने, समझने और काम करने लगेंगी कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिये बदल जाएगा।

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाएँ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शैशवावस्था में है और देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किये जा सकते हैं। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है।

सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज़ से देश में जहां संभव हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिये एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उद्योग जगत ने सरकार से इसके लिये कुछ बिंदुओं पर फोकस करने को कहा है:

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए देश में एक अथॉरिटी बने जो इसके नियम- कायदे तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे।
2. सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करे जहाँ प्राथमिकता के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि आदि इसके लिये उपयुक्त क्षेत्र हो सकते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोग

- कंप्यूटर गेम-Computer Gaming
- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण-Natural Language Processing
- प्रवीण प्रणाली-Expert System
- दृष्टि प्रणाली-Vision System
- वाक् पहचान-Speech Recognition
- बुद्धिमान रोबोट-Intelligent Robot

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार

- पूर्णत: प्रतिक्रियात्मक (Purely Reactive)
- सीमित स्मृति (Limited Memory)
- मस्तिष्क सिद्धांत (Brain Theory)
- आत्म- चेतन (Self Conscious)

चीन में क्या है स्थिति?

चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने के बाद गूगल ने अपना एक और कार्यालय खोला है। गूगल का यह नया कार्यालय शेनझेन शहर में है। शेनझेन शहर में गूगल के कई उपभोक्ता और साझेदार हैं और उनके साथ अच्छे से कार्य और संवाद कायम करने के लिए एक ई-सूट कार्यालय स्थापित किया गया है। चीन में गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बुद्धिमत्ता सम्मेलन और कार्यशालाओं को प्रायोजित करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान समुदाय को प्रोत्साहन दे रहा है। यह एशिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केन्द्र में रहा एक ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय- समय पर विचार - विमर्श करते रहते हैं। आज दुनियाँ तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख- सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण ने जहाँ विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिए नित नए समाधान सामने आते रहते हैं। जहाँ वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकानेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे यह भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मनीशों से लिया जाएगा, जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नही किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करना आवश्यक होगी।

******

"मैं", मेरा नाम

श्री एस. ए. जे. नासिर
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त)

ब्रह्मान्ड कितना बड़ा है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। खगोलविद ग्रहों की खोज का काम निरंतर कर रहे हैं। कुल कितनी आकाश गंगाएं है, उन आकाश गंगाओं में कुल कितने ग्रह है, इसकी अभी तक सटीक गणना तक नही हो पाई है। कुछ ग्रह तो पृथ्वी से इतनी दूर है कि उनके प्रकाश को भी यहां तक पहुंचने मे करोड़ों साल लग जाएंगे। ग्रहों और चंद्रमा जैसे उपग्रहों की संख्या करोड़ों से भी अधिक है। इन्ही करोड़ों ग्रहों मे से एक पृथ्वी भी है।

इस पृथ्वी की आयु कितनी है? वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से इसकी आयु 5443 लाख वर्ष है। ये कैसे बनी इसके लिए वैज्ञानिक रूप से हमें बिग बैंग थ्योरी पर जाना होगा, यह एक अलग विषय है। पृथ्वी पर मानव जीवन लगभग 60 लाख सालों से है, और वर्तमान स्वरूप में मनुष्यों का जीवन 2 लाख वर्ष पहले से माना जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मानव सभ्यता का प्रामाणिक इतिहास मात्र 5000 वर्षों पुराना है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मानव के क्रमिक विकास से मनुष्य को वर्तमान आकार मिला, धर्मों की अवधारणा इसके विपरीत है। अभी तक वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पाएं हैं कि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी क्या जीवन है। इस संबंध में शोध का क्रम जारी है। हमसे ये ग्रह कितनी दूरी पर है इसकी गणना प्रकाश वर्ष या गूगल वर्ष में की जाती है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना विकराल है।

पृथ्वी पर लगभग 8 अरब (7.941) लोग और खरबों की संख्या में दूसरे जीव जन्तु रहते हैं। सभी इन्सान और दूसरे जीव पैदा होते है और एक अवधि के बाद उनका अन्त हो जाता है। यह क्रम सतत चलता रहता है और यह क्रम अनंत काल तक चलता रहेगा। इन खरबों जीवों और आठ अरब लोगों, अरबों लोग जो दुनिया से जा चुके है और अरबों लोग जो आगे दुनिया मे आयेगे उन मे से एक "मै" हूं। अब इस अरबों खरबों जीवन मे इस "मै" की क्या हैसियत है? एक अरसा बीतने के बाद (दुनिया से जाने के बाद) इस "मै" की क्या हैसियत रहेगी?

आप पूरा मानव इतिहास खंगाल डालिए, इन दो लाख साल पुराने मानव जीवन में आपको याद रखने के लिए 10000 नाम तलाशना मुश्किल है, हमको जो भी नाम मिलने हैं वे पिछले 5000 साल की अवधि के बीच के हैं और वे नाम भी गिनती के हैं। 99.99 प्रतिशत नाम 100 साल के अंदर ही भुला दिए जाते हैं। आदर के साथ याद वही किए जाते हैं जिन्होंने दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया हो। मानव का जीवन सुलभ बनाने वाले इसी श्रेणी में आते हैं। सौ डेढ़ सौर साल के बाद हमारे वंश के कुछ

लोगों को ही हमारा नाम याद रहेगा, दूसरों को छोड़िए वंश के लोग ही भूल जाएंगे कि इस नाम के व्यक्ति का कभी कोई अस्तित्व था।

विश्व में लगभग 4200 धर्म या धार्मिक समूह हैं, कुछ लोग यह संख्या 10000 तक मानते हैं और इसी प्रकार उनके आराध्यों की संख्या भी हजारों में है। हर समूह का अपना अपना धार्मिक विधान है, अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं हैं। इन मान्यताओं और आस्थाओं को वैज्ञानिक मानदंडों और तर्कों पर परखने से किसी की भी आस्था आहत हो सकती है। किसी धर्म या धार्मिक आस्था को गलत साबित करने का वैज्ञानिक या तार्किक आधार हो सकता है लेकिन साथ ही हर धार्मिक समुदाय अपने को ही सही मानता है और उनके पास भी अपने अपने ठोस तर्क हैं। उनके विश्वास का सम्मान होना चाहिए। अब चाहे वैज्ञानिक आधार हो अथवा आस्था का आधार, "मैं" की अवधारणा अंततः सामने आ ही जाती है। जो कुछ ब्रह्मांड में है उसका सीधा संबंध "मैं" या "हम" से जरूर होता है।

माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक और सिर्फ सर्वशक्तिमान पालनहार और रचनाकार है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अगर सभी जीवों का रचनाकार एक माना जाए तो स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के बीच एक आपसी संबंध हुआ। नास्तिको के अनुसार ऐसा नही हैं, अग्नोस्टिक एथीस्ट लोगों का अप्रोच थोड़ा अलग है लेकिन वे भी मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों से इंकार नहीं करते। इसी सर्वशक्तिमान ने "मैं" की भी रचना की। हर "मैं" एक नाम से जाना जाता है, और जाना जाता रहा है और यह नाम भी कोई और देता है। और अगर "मैं" से नाम अलग कर दिया जाए तो फिर बचेगा क्या? नाम हटने के बाद यह "मैं" भी एक वस्तु में परिवर्तित हो जाएगा।

अब ब्रह्मांड में अपनी स्थिति और अपने नाम पर विचार कीजिए तो पाएंगे कि हमारी हैसियत समुद्र की एक बूंद अथवा विशाल मरुस्थल में रेत के एक कण के समान है, और जिसका अस्तित्व कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। फिर तो अहंकार, विवाद, हिंसा, अन्याय, वैमनस्य, ईर्ष्या के लिए क्या इस छोटे से जीवन कोई जगह तो नही बनती। श्रेष्ठता की सूची में नाम दर्ज कराना सब के बस की बात नहीं होती है लेकिन एक अच्छा इंसान बनने का विकल्प सब के पास होता है। अच्छा इंसान तो बिना धन, पद, संसाधन, बिना उच्च शिक्षा और बिना शारीरिक शक्ति के भी बना जा सकता है।

हम चाहें या न चाहें, एक दिन इस संसार को अलविदा कहना ही होगा। हमको किसलिए और क्यों याद किया जाए? इसलिए कि आप समाज में चर्चित हैं, यह काफी नहीं है। चर्चा में रहना ही सफलता का पैमाना नहीं होता, चर्चा राम के साथ रावण की भी होती है, लेकिन राम करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और रावण को बुराइयों का प्रतीक मानकर हर साल उसका दहन किया जाता है।चर्चा कृष्ण के साथ कंस और शिशुपाल की होती है, लेकिन हजारों साल बीतने के बाद भी कृष्ण असंख्य दिलों पर राज कर रहे हैं। चर्चा जीसस की भी होती है और जुडास की भी। चर्चा हुज्जाज बिन यूसुफ, हिटलर,

मुसोलिनी, सद्दाम, ईदी अमीन और ओसामा बिन लादेन की भी होती है... अत्याचारियों के रूप में नफ़रत से। चर्चा सत्य और मानवता के प्रतीक हुसैन की होती है आदर के साथ और अधर्म और अन्याय के प्रतीक यजीद की भी होती है घृणा के साथ।

हमारे कर्म और व्यवहार ही सुनिश्चित करते हैं हमें याद रखा जाए या भुला दिया जाए। इच्छा तो सब की होती है कि लोग उसे अच्छे नाम से याद करें। लेकिन इस उपलब्धि को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसके लिए आत्मावलोकन के साथ अपने आप से कुछ सवाल करना होता है। इन सवालों के जवाब से ही हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। हमको किन कामों से संतुष्टि मिली, और क्या हम दूसरों को भी संतुष्ट कर पाए? हमारे कारण कितनों के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन आए, कितने घर बने और कितने बर्बाद हुए, कितनों को सुख मिला और कितनों को दुख? क्या हम ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा ? क्या हमने अपनी क्षमता भर असत्य, अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार किया ? क्या हम अपने, अपने परिवार, समाज और देश के प्रति ईमानदार रहे? अगर उत्तर "हां" में है तो "मैं" की उत्पत्ति सार्थक रही ।

हम चाहें तो इस "मैं"की बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता खुद बना सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे जीवन की परिसंपत्तियां और देनदारियां क्या हैं। हमने पुण्य के रूप में कितना लाभ और पाप के रूप में कितनी हानि उठाई ।हमारे जीवन रूपी तुलन पत्र की ये परिसंपत्तियां और दायित्व ही हम को छोटा या बड़ा बनाते हैं, यही "मैं" की सार्थकता और निरर्थकता नियत करते हैं।

******

इंटरनेट युग

श्री प्रशांत शुक्ला,
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

इंटरनेट की उत्पत्ति 1960 के दशक में कंप्यूटर के समय-साझाकरण को सक्षम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए पैकेट स्विचिंग और अनुसंधान के विकास से हुई थी। प्राथमिक अग्रदूत नेटवर्क, ARPANET, ने शुरुआत में 1970 के दशक में क्षेत्रीय शैक्षणिक और सैन्य नेटवर्क के अंतर्संबंध के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य किया। 1980 के दशक में एक नई रीढ़ के रूप में नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क की फंडिंग, साथ ही अन्य वाणिज्यिक विस्तारों के लिए निजी फंडिंग के कारण नई नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों के विकास में दुनिया भर में भागीदारी हुई और कई नेटवर्कों का विलय हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में वाणिज्यिक नेटवर्क और उद्यमों को जोड़ने से आधुनिक इंटरनेट में संक्रमण की शुरुआत हुई, और संस्थागत, व्यक्तिगत और मोबाइल कंप्यूटरों की पीढ़ियां नेटवर्क से जुड़ने के कारण निरंतर तेजी से वृद्धि हुई। हालाँकि 1980 के दशक में शिक्षाविदों द्वारा इंटरनेट का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, लेकिन व्यावसायीकरण ने इसकी सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू में शामिल कर लिया।

ARPANET तक पहुंच का विस्तार 1981 में किया गया जब नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) ने कंप्यूटर साइंस नेटवर्क (CSNET) को वित्त पोषित किया। 1982 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट (टीसीपी/आईपी) को मानकीकृत किया गया, जिसने दुनिया भर में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के प्रसार की अनुमति दी। 1986 में टीसीपी/आईपी नेटवर्क पहुंच का फिर से विस्तार हुआ जब नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क (एनएसएफनेट) ने शोधकर्ताओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपर कंप्यूटर साइटों तक पहुंच प्रदान की। एनएसएफनेट ने 1988-89 में पहले 56 केबीटी/एस की गति पर और बाद में 1.5 एमबीटी/एस और 45 एमबीटी/एस पर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान में शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों में विस्तार किया। हालांकि यूयूसीपी जैसे अन्य नेटवर्क प्रोटोकॉल की वैश्विक पहुंच इस समय से काफी पहले थी, इसने एक अंतरमहाद्वीपीय नेटवर्क के रूप में इंटरनेट की शुरुआत को चिह्नित किया। वाणिज्यिक इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में उभरे। ARPANET को 1990 में बंद कर दिया गया था।

सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और ऑप्टिकल नेटवर्किंग में लगातार प्रगति ने नेटवर्क के मूल विस्तार में व्यावसायिक भागीदारी और जनता तक सेवाएं पहुंचाने के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा किए। 1989 के मध्य में, एमसीआई मेल और कंप्यूसर्व ने इंटरनेट से कनेक्शन स्थापित किया, जिससे इंटरनेट के आधे मिलियन उपयोगकर्ताओं को ईमेल और सार्वजनिक एक्सेस उत्पाद उपलब्ध कराए गए। कुछ ही महीनों बाद, 1 जनवरी 1990 को, पीएसआईनेट ने व्यावसायिक उपयोग के लिए एक वैकल्पिक इंटरनेट

बैकबोन लॉन्च किया; उन नेटवर्कों में से एक जो बाद के वर्षों में वाणिज्यिक इंटरनेट के मूल में शामिल हो गया। मार्च 1990 में, NSFNET और यूरोप के बीच पहला हाई-स्पीड T1 (1.5 Mbit/s) लिंक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और CERN के बीच स्थापित किया गया था, जिससे उपग्रहों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत संचार की अनुमति मिली।

1990 तक, बर्नर्स-ली ने एक कार्यशील वेब के लिए आवश्यक सभी उपकरण बना लिए थे। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (HTTP) 0.9, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML), पहला वेब ब्राउज़र (जो एक HTML संपादक भी था और यूज़नेट न्यूज़ग्रुप और एफ़टीपी फ़ाइलों तक पहुंच सकता है), पहला HTTP सर्वर सॉफ़्टवेयर (जिसे बाद में CERN httpd के रूप में जाना गया), पहला वेब सर्वर , और पहला वेब पेज जो प्रोजेक्ट का वर्णन करता है। 1991 में वाणिज्यिक इंटरनेट ईएक्सचेंज की स्थापना की गई, जिससे पीएसआईनेट को अन्य वाणिज्यिक नेटवर्क सीईआरएफनेट और अल्टरनेट के साथ संचार करने की अनुमति मिली। अक्टूबर 1994 में स्टैनफोर्ड फेडरल क्रेडिट यूनियन अपने सभी सदस्यों को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाला पहला वित्तीय संस्थान था। 1996 में, ओपी फाइनेंशियल ग्रुप , जो एक सहकारी बैंक भी है, दुनिया का दूसरा और यूरोप में पहला ऑनलाइन बैंक बन गया। 1995 तक, अमेरिका में इंटरनेट का पूरी तरह से व्यावसायीकरण हो गया था, जब एनएसएफनेट को बंद कर दिया गया था, जिससे वाणिज्यिक यातायात के लिए इंटरनेट के उपयोग पर अंतिम प्रतिबंध हटा दिया गया था।

विश्वव्यापी इंटरनेट उपयोगकर्ता

उपयोगकर्ताओं	2005	2010	2017	2019	2021
विश्व जनसंख्या	6.5 अरब	6.9 बिलियन	7.4 अरब	7.75 अरब	7.9 बिलियन
दुनिया भर	16%	30%	48%	53.6%	63%
विकासशील दुनिया में	8%	21%	41.3%	47%	57%
विकसित दुनिया में	51%	67%	81%	86.6%	90%

जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत हुई और व्यावसायिक अवसरों ने पारस्परिक वृद्धि को बढ़ावा दिया, इंटरनेट ट्रैफ़िक की मात्रा एमओएस ट्रांजिस्टर की स्केलिंग के समान विशेषताओं का अनुभव करने लगी, जिसका उदाहरण मूर के नियम से है , जो हर 18 महीने में दोगुनी हो जाती है। यह वृद्धि, जिसे एडहोम के नियम के रूप में औपचारिक रूप दिया गया, एमओएस प्रौद्योगिकी, लेजर प्रकाश तरंग प्रणालियों और शोर प्रदर्शन में प्रगति से उत्प्रेरित हुई ।

सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभाव

1995 के बाद से, इंटरनेट ने संस्कृति और वाणिज्य पर अत्यधिक प्रभाव डाला है, जिसमें ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेलीफोनी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या वीओआईपी), दो-तरफा इंटरैक्टिव वीडियो कॉल और वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा लगभग त्वरित संचार का उदय शामिल है। 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, या अधिक पर संचालित होने वाले फ़ाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर डेटा की बढ़ती मात्रा उच्च और उच्चतर गति से प्रसारित होती है। अधिक मात्रा में ऑनलाइन सूचना और ज्ञान, वाणिज्य, मनोरंजन और सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं के कारण इंटरनेट का विकास जारी है।

1990 के दशक के अंत में, यह अनुमान लगाया गया था कि सार्वजनिक इंटरनेट पर ट्रैफ़िक प्रति वर्ष 100 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि 20% से 50% के बीच मानी गई थी। इस वृद्धि को अक्सर केंद्रीय प्रशासन को कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो नेटवर्क के जैविक विकास की अनुमति देता है, साथ ही इंटरनेट प्रोटोकॉल की गैर-मालिकाना प्रकृति, जो विक्रेता अंतरसंचालनीयता को प्रोत्साहित करती है और किसी एक कंपनी को बहुत अधिक नियंत्रण करने से रोकती है। नेटवर्क पर 31 मार्च 2011 तक, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की अनुमानित कुल संख्या 2.095 बिलियन (विश्व जनसंख्या का 30.2%) थी। यह अनुमान लगाया गया है कि 1993 में इंटरनेट दोतरफा दूरसंचार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली सूचना का केवल 1% ही वहन करता था। 2000 तक यह आंकड़ा 51% तक बढ़ गया था, और 2007 तक सभी दूरसंचार सूचनाओं का 97% से अधिक इंटरनेट पर प्रसारित किया गया था।

वर्तमान में, इंटरनेट के बिना कुछ भी संभव नही है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी सेवाओं के ऑनलाइन माध्यम से आम-जनों को मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से कुछ ही क्षण में काम पूर्ण हो जाते है एवं समय व लागत की बचत होती है।

*****

खतरनाक पर्यावरणीय खतराः ध्वनि प्रदूषण

श्रीमती विनीता पाण्डेय
पत्नी श्री नवीन कुमार पाण्डेय
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

बच्चों शोर कम करो। टीवी की आवाज थोड़ी कम करो। ये मशीन कितनी आवाज़ कर रही है। सड़क पर गाड़ियां और उनके हॉर्न की आवाज़। आदि-आदि। ये सभी वो शब्द हैं जो हम अपनी भागती-दौड़ती जिंदगी में घर, ऑफिस या सड़क पर चलते हुए एक दूसरे को बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इन पर अमल करना शायद कहीं न कहीं भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं रहता। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं और किसी ने उस कमरे में बहुत तेज आवाज़ में साउंड स्पीकर चलाकर रख दिया हो। आवाज़ इतनी तेज हो कि आपके बर्दाश्त के बाहर हो। उस वक्त जो आपकी मनोदशा या स्थिति होगी, ठीक वैसी ही स्थिति आज ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे पर्यावरण की है। ध्वनि प्रदूषण आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। और आजकल हमारे देश के बड़े शहरों में बहुत अधिक शोर प्रदूषण हो रहा है।

यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर ध्वनि प्रदूषण क्या है और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? वास्तव में, ध्वनि प्रदूषण अनुपयोगी ध्वनि होती है जिससे मानव तो मानव यहां तक कि जीव-जंतुओं तक को भी परेशानी होती है। जब शोर की तीव्रता पर्यावरण में अधिक हो जाती है तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। आज हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि के साथ ही यातायात के साधनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विकास के साथ ही विभिन्न औद्योगिक कल-कारखानों में भी अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है और यही कारण है कि ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोत्तरी हुई है। ध्वनि प्रदूषण लोगों के जीवन पर बहुत ही प्रतिकूल एवं नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि शोर और स्वास्थ के बीच सीधा संबंध पाया जाता है। शोर से जुड़ी समस्याओं में तनाव से संबंधित बिमारियाँ, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, श्रवण हानि, नींद में व्यवधान, सिरदर्द, एकाग्रता में कमी आदि को शामिल किया जाता है। शोर की वजह से मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोग, हई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तक का खतरा भी बड़ जाता है। यहां तक की रोज शोर से हार्ट अटैक का खतरा भी रहता है। विश्व स्वास्थ संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार निद्रावस्था में आस-पास के वातावरण में 35 डेसीबल से ज्यादा शोर नहीं होने चाहिए और दिन का शोर भी 45 डेसीबल से अधिका नहीं होना चाहिए। 80 डेसीबल से ऊपर की आवाज़ को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में माना जाता है। वास्तव में, शोर की अधिक तीव्रता हृदय की धड़कन को बहुत तेज प्रभावित करती है एवं उसमें तेज या धीमे हृदय स्पंदन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (ईईए) के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण के कारण अकेले यूरोप में हर साल 16,600 से अधिक लोगों की

समय से पहले मृत्यु हो जाती है और 72,000/- से अधिक को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। यदि हम यहां ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न स्त्रोतों की बात करें तो इसमें क्रमशः टीवी, रेडियो, कूलर, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, जहाज, रॉकेट, घरेलू उपकरण, वाशिंग मशीन, लाउड स्पीकर, स्टीरियो टैंक, तोप, फैक्ट्री, विभिन्न मशीनरी, औद्योगिक व आवासीय इमारतों का निर्माण, कार्यालय के विभिन्न उपकरण तथा दूसरे सुरक्षात्मक उपकरणों के अलावा सभी प्रकार की आवाज़ करने वाले साधन, उपकरणों या कारकों को ध्वनि प्रदूषण का स्त्रोत माना जाता है।

वैसे, ध्वनि प्रदूषण के अन्य कारणों में धरने-प्रदर्शन, रैलियां, नारेबाजी, राजनीतिक और गैर-राजनीतिक रैलियों में उमड़ने वाली अनियंत्रित भीड़, कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूहों का एक साथ वार्तालाप करना शामिल है। उपर्युक्त सभी कारणों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। वास्तव में आज के समय में शोर नियंत्रण के आदेश महज खानापूर्ति बनकर रह गए हैं। ध्वनि प्रदूषण मानव जीवन के साथ जंगली जीवन और पेड़-पौधों तक को भी प्रभावित करता है। तेज ध्वनि से पशुओं का नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इसके कारण वे अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और हिंसक हो जाते हैं। हमारे कान एक निश्चित ध्वनि की तीव्रता को ही सुन सकते हैं। ऐसे में तेज ध्वनि कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। नियमित रूप से तेज ध्वनि सुनने से कान के पर्दे फट जाते हैं। इसके अलावा तेज ध्वनि हमारे स्थायी एवं अस्थायी रूप से बहरेपन का कारण बन सकती है।

आज के इस कानफोड़ू शोर पर रोक की आवश्यकता है। ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा परेशानी अस्पतालों में मरीजों, विद्यालयों, घरों में विद्यार्थियों, शिक्षकों को होती है। ध्वनि का स्तर 80 डीबी से 100 डीबी होने पर यह हमें बहरा बना सकती है। आज शहरों में आबादी वाले स्थानों में, अस्पतालों व विद्यालयों के पास तेज प्रेशर और हॉर्न, लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं। इन्हें रोकने की जरूरत है। हालांकि समय- समय पर हमारे देश के विभिन्न राज्य सरकारें, प्रशासन वाहनों पर लगे डी.जे. पर सख्ती से रोक लगाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्थिति ढ़ाक के तीन पात वाली हो जाती है। बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में शोर प्रदूषण किया जाता है। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नही की जाती। बहुत से स्थानों पर रात्रि के दस बजने पर तेज आवाज में डी.जे. बजाने पर रोक पहले से ही जारी है। यहाँ तक की आदेश की उल्लंघन करने पर डी.जे. लगे वाहन एवं म्यूजिक सिस्टम जब्त करने तक की बातें की जाती हैं, लेकिन धरातलीय स्तर पर विरले ही इस पर कार्रवाई होती है।

धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर कोई भी मांगलिक अवसर, या कोई पार्टी या फंक्शन हो, बहुत शोर किया जाता है। रात भर डी.जे. बजाए जाते हैं। मोटर साइकिल एवं मोटर गाड़ियों को रेस कर तेज आवाज के साथ दौड़ाना आज युवाओं का एक फैशन सा हो गया है, और हैरानी की बात है कि कभी-कभार ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज 75 डी.बी. से कम रखी जानी चाहिए। सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात में (रात के 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के

बीच) किसी ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग नही किया जाना चाहिए। आज बच्चों, बुजुर्गों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। तेज आवाज में संगीत बजने पर कान के पर्दे फटना, दर्द होना व बहरेपन की शिकयतें भी बढ़ी हैं। विद्यार्थियों के पढ़ाई में बहुत ही असुविधा भी होती है।

ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाली मशीन में साइलेंसर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत है। विभिन्न धार्मिक कार्यों, शादी- बारातों, पार्टियों, फंक्शन आदि में एक उचित ध्वनि तीव्रता तक ही साउंड को बजाया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों पर उचित लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जगह- जगह पर सड़क के किनारे डेसीबल मीटर लगाने जाने चाहिए, जिससे की ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता चेक किया जा सके। कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को ध्वनि से अपने कानों को सुरक्षा करने के लिए कानों में विशेष प्रकार के ईयर प्लग्स आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे मशीनों के तीव्र ध्वनि से कानों क्षति न पहुंचे। भीड़- भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से हमें बचना चाहिए।

इसके अलावा हमें अपने घरों के आस- पास और सड़क के किनारों पर वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि ये इसको रोकने में काफी मददगार साबित होते हैं। इन वृक्षों को हम ग्रीन मफलर के नाम से भी जानते हैं। सरकार द्वारा ध्वनि कंट्रोल कानून के कारण लोगों को इसमें भाग लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अंत में, यही कहना चाहूंगा कि प्रकृति एवं हमारी सेहत दोनों के लिए ध्वनि प्रदूषण बहुत ही विनाशकारी एवं घातक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार बढ़ता ध्वनि प्रदूषण ही भी स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक पर्यावरणीय खतरों मे से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण जानवरों के प्रजनन चक्र और पालन- पोषण तक में बाधा डाल रही है, जिसके कारण कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने तक का खतरा भी बढ़ गया है। अतः आइए हम ध्वनि प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दें और हमारे स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण को भी ठीक रखें।

*****

परिवार का महत्व

श्रीमती बबिता मणि,
कनिष्ठ अनुवादक

कहा जाता है कि पैसे कमाना आसान है लेकिन परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना बहुत ही मुश्किल है। पैसे तो इंसान किसी ना किसी विधि से कमा ही लेता है, लेकिन परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर एक साथ रहना अत्यंत ही कठिन है क्योंकि इंसान की जीवन शैली में जो बदलाव आया है उसकी वजह से आज व्यक्ति के पास परिवार के साथ समय बिताना एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई है। हर व्यक्ति अपनी जीवनशैली को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम कर रहा है जिसकी वजह से अपने घरपरिवार के साथ पर्याप्त समय - निकाल पानामुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो परिवार तो परिवार ही होता है और इसकी वास्तविक कीमत हमें तब ही पता चलती है जब हम अपने परिवार से दूर जाकर काम करना शुरू करते हैं। जब तक हम घरपरिवार के साथ रह रहे होते हैं तब तक हमें बाहर की दुनिया ही - अच्छी लगती हैं। वो एक कहावत भी है ना कि **दूर के ढोल सुहावने होते हैं**। हमारी जिंदगी में हमारे घरपरिवार का क्या महत्व है-? परिवार के सदस्य का हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं बस इसी से संबंधित मेरी ये छोटी सी कहानी है।

एक बार रघु अपनी पत्नी राधा और बेटा श्याम के साथ बागीचे में टहल रहा था। एक तरफ उस बागीचे में कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी को फोन पर बहुत जोर-डांट रहा था और कह रहा था कि तुम्हें परिवार का महत्व नहीं पता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति इतनी जोर से जोर से फोन पर बोल रहा था क-जोरि बागीचे में टहल रहे अधिकांश लोगों का ध्यान उसकी तरफ अनायस की चला जा रहा था। बुजुर्ग की बातों से लग रहा था कि उसके परिवार का कोई सदस्य अपने कामकाज की दुनियां में इतना मस्त हो गया है कि उसके परिवार में कोई है भी इसका उसको जरा सा - भी ध्यान नहीं है और ना ही इन सब से वो मतलब रखना चाहता है। बुजुर्ग की बातें सुनकर उस बागीचे में आए अन्य लोग भी आपस में कुछ फुसफुसाकर बोल रहे थे। रघु का बेटा श्याम भी उस व्यक्ति की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा था लेकिन उसे इतना एहसास हो रहा था कि वो बुजुर्ग व्यक्ति किसी को डाट रहा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति बार बार अपने वक्तव्य में एक बात बोलता था और वो था-"परिवार का महत्व"। बहुत देर तक उस बुजुर्ग व्यक्ति की बाते सुनने के बाद श्याम ने उत्सुकता वश अपने पिता से पूछ ही लिया। श्याम, "पापा, वो दादा जी क्या बात कर रहे हैं? वो बारबार परिवार का महत्व नहीं पता है तुम्हें-, ऐसा

क्यों बोल रहे हैं? ये परिवार क्या है? हमारे जीवन में परिवार का क्या महत्व है? वो किसको फोन पर डांट रहे हैं?"

रघु अपने बच्चे की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया।-लेकिन वो कर भी क्या सकता था क्योंकि छोटे बच्चे अपने चारोंतरफ हो रही हलचल से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो जाते हैं। एक बार - दिमाग में अगर फिट हो जाती है तो वो उसके बारे में जानने के जिद पर अड़ कोई बात छोटे बच्चों के जाते हैं और ऐसा ही कुछ रघु का बेटा श्याम भीकरने लगा। श्याम का प्रश्न सुनने के बाद रघु सोचने लगा कि इतने छोटे से बच्चे को परिवार क्या है और इसका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है, कैसे समझाए? बहुत देर तक सोचने के बाद श्याम का ध्यान अचानक से बागीचे में पतंग उड़ा रहे बच्चों की तरफ गया। बच्चे आपस में खूब मस्ती कर रहे थे। जैसे ही किसी बच्चे कि पतंग गिरने वाली होती तो दूसरा बच्चा संभाल लेता था। सारे बच्चे एकत करते रहते थे थोड़ी देर पर प्रोत्साहि-दूसरे को थोड़ी- जिसकी वजह से जिसकी पतंग लड़खड़ा कर गिरने वाली होती थी उसकी भी पतंग की सुरक्षा हो जाती थी। सभी बच्चे एक साथ खुशीखुशी पतंग उड़ा ही रहे थे कि तभी अचानक उनमें से एक बच्चा अपने - । उसको ऐसा करता समूह से बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूर जाकर अपनी पतंग उड़ाने लगता है देख समूह के बाकी बच्चे उसको चिल्लाकर वापस बुलाने लगते हैं लेकिन वो बच्चा वापस नहीं आता है। जब वह अपने समूह के बच्चों की बात नहीं मानता है तो उसे बिना कुछ कहे बाकी सारे बच्चे चुप होकर अपनीअपनी पतंग उड़ाने लगते हैं।-

ईश्वर की दया से समूह से अलग होकर पतंग उड़ा रहे उस बच्चे कि पतंग खूब ऊंची उड़ने लगती है। उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो अपने समूह के सारे साथियों को भी चिल्लाचिल्ला कर बोलने लगा कि देखो-, तुम लोगों के साथ में पतंग उड़ा रहा था तो मेरी पतंग उतनी ऊंची नहीं उड़ रही थी लेकिन जैसे ही तुम लोगों से अलग हुआ मेरी पतंग तुम लोगों से ज्यादा ऊंची उड़ने लगी। उसकी बात सुनकर भी समूह के बाकी बच्चों ने कुछ नहीं कहा और सब अपनीअपनी पतंग - उड़ाने में मगन हो गए। इधर ये बच्चा भी अपनी पतंग की ऊंची उड़ान से बहुत खुश था लेकिन कुछ फूट कर रोने लगता -के बाद उसकी पतंग अचानक से कट जाती है और वह बच्चा फूट देर तक उड़ाने है। उस बच्चे को रोता देखकर उसके बाकी साथी दौड़ेदौड़े उसके पास आते हैं। कोई उसको चुप कराता - है तो कोई उसकी पतंग ठीक करने में जुट जाता है और कुछ ही देर में सब मिलकर उसकी कटी हुई कर देते हैं तथा उसकी पतंग फिर से उड़ने लगती है और वह खुश होकर अपने साथियों के पतंग ठीक साथ मिलकर फिर से पतंग उड़ाने लगता है। थोड़ी देर पहले जो बच्चा अपनी पतंग कटने पर फूट- फूटकर रो रहा था वही पतंग ठीक हो जाने की खुशी में इतना खो जाता है कि उसे देखकर ऐसा लग ही फूटकर रो -हा था कि कुछ देर पहले वही बच्चा पतंग कटने से बहुत ही ज्यादा दुखी था और फूटनहीं र रहा था।

रघु उन बच्चों की इन सारी गतिविधियों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। पतंग उड़ा रहे बच्चों की इन सारी गतिविधियों को देखतेगए प्रश्नों के उत्तर देखते रघु को अपने बेटे श्याम के द्वारा पूछे-समझाने का तरीका भी पता चल गया। इधर श्याम भी अपने पिता से अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अत्यंत ही उत्सुक था। रघु ने अपने बेटे को समझाया, "बेटा, परिवार वो जगह है जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ आपस में मिलदूसरे का सहारा बनते हैं।-सभी एक दुःख में-जुलकर रहते हैं। सुख-" श्याम ने अपने पिता से पूछा, "जैसे?" रघु ने कहा, "जैसे, पतंग उड़ा रहे उन बच्चों को देखो। वो बच्चे आपस में एक साथ कितना खुश होकर पतंग उड़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनमें से एक बच्चा अपने समूह से अलग होकर अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था तथा उसकी पतंग कट गई थी, तब सारे बच्चों ने एक जुट होकर उस बच्चे की मदद की थी उसकी पतंग ठीक करने में। बिल्कुल ऐसा ही कुछ परिवार के साथ भी है। रघु ने आगे कहा, "मान लो पंतग उड़ा रहे बच्चो का समूह एक परिवार है और सारे बच्चे उस परिवार का सदस्य हैं। उसमें से जो बच्चा समूह से बाहर निकलकर पतंग उड़ा रहा था वो बच्चा अपने परिवार से अलग हो गया था तथा उसकी पतंग कट गई। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की पतंग कटी उसके समूह के सारे बच्चे एकजुट हो गए तथा उसकी समस्या का समाधान भी हो गया। उसके बाद सभी बच्चे एक साथ खुशीखुशी अपनी पतंग उड़ाने लगे।-" श्याम ने कहा, "इसका मतलब वो दादा जी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं।" रघु ने कहा, "बिल्कुल। वो दादा जी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को यही समझाने कि कोशिश कर रहे हैं।"

मुझे नहीं पता कि श्याम को परिवार का महत्व समझ में आया कि नहीं लेकिन जहां तक मैंने समझा है उस आधार पर मैं यह कह सकती हूँ कि वजह चाहे जो भी हो हमारा घरपरिवार हमारी जड़ें - हैं। अपनी जड़ों से हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए क्योंकि जिस वृक्ष की जड़े अलग हो जाती हैं उसकी टहनियों का ज्यादे दिन तक टिके रहना असंभव है। बाहर की दुनिया में हम चाहे जितने भी नाम कमा लें लेकिन अगर अपने परिवार के बीच हम लोकप्रिय नहीं तो हमारी सारी उपलब्धियां बेकार हैं।

*****

नई शिक्षा नीति

श्री इम्तियाज अहमद,
कनिष्ठ अनुवादक

भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पर आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में पारित हुआ था।

अगस्त 1985 'शिक्षा की चुनौती' नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों (बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय आदि) ने अपनी शिक्षा सम्बन्धी टिप्पणियाँ दीं और 1986 में भारत सरकार ने 'नई शिक्षा नीति 1986' का प्रारूप तैयार किया। इस नीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढाँचे को स्वीकार किया और अधिकांश राज्यों ने 10 + 2 + 3 की संरचना को अपनाया। इसे राजीव गांधी के प्रधानमन्त्रीत्व में जारी किया गया था।

इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिये जनता से सलाह मांगना शुरू किया था।

प्रमुख परिवर्तन

इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः "शिक्षा मंत्रालय" करने का फैसला लिया गया है। इसमें समस्त उच्च शिक्षा (कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है जो इस समय 4.43% है। एम॰ फिल॰ को समाप्त किया जायेगा। अब अनुसंधान में जाने के लिये तीन साल के स्नातक डिग्री के बाद दो साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है।

नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की

सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले 'समूह' के अनुसार विषय चुने जाते थे, किन्तु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है।

स्कूलों में 10+2 फार्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फार्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा दो सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा एक से शुरू होती थी। वहीं अब तीन साल के प्री-प्राइमरी के बाद कक्षा एक शुरू होगी। इसके बाद कक्षा 3-5 के तीन साल शामिल हैं। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा। चौथा स्टेज (कक्षा 9 से 12वीं तक का) 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी, वही अब 9वीं कक्षा से रहेगी।

शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से पांचवीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जायेगा। इसमें रट्टा विद्या को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जाता है। किसी कारणवश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के बीच में ही कोर्स छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता एवं उन्हें डिग्री के लिये दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती है। नई नीति में पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पे डिप्लोमा एवं अंतिम वर्ष पे छोड़ने पे डिग्री देने का प्रावधान है।

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित हैं। इस रिपोर्ट में मास्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर एमके श्रीधर आदि का योगदान सराहनीय है ।

प्रमुख बातें

•(1) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।

•(2) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

•(3) 'मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय' का नाम परिवर्तित कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है।

•(4) पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

•(5) देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये "भारतीय उच्च शिक्षा परिषद" नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है।

•(6) शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था लेकिन अबकी बार 2020 में जारी किया गया|

प्रतिक्रिया

नई शिक्षा नीति की घोषणा के उपरान्त बुद्धिजीवियों, आम जनता एवं शिक्षा जगत में मिली-जुली प्रतिक्रिया रही। वहीं मुख्यता इसमें घोषित बदलावों का स्वागत किया गया है। लेकिन इसके कई लक्ष्य के पूरा होने पर संदेह व्यक्त किया गया। शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसदी खर्च करने का लक्ष्य बहुत ही पुराना है जिसे फिर से दोहराया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति एम॰ जगदीश कुमार ने इस शिक्षा नीति को समावेशी कहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के संगठन दूटा (DUTA) ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए इसे आपत्तिजनक माना है जिसका कहना है कि इसके द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बोर्ड ऑफ़ गवर्नर के ज़िम्मे झोंक देना अनुचित है।

******

अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ

श्री एम.रहमान खान,
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी'

अंतरिक्ष - वह विस्तार है जो पृथ्वी से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। बाहरी स्थान पूरी तरह से खाली नहीं है - यह एक कठोर निर्वात है जिसमें कणों का कम घनत्व होता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक प्लाज्मा, साथ ही विद्युत चुम्बकीय विकिरण, चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रिनो, धूल और ब्रह्मांडीय किरणें विद्यमान हैं।

बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर शुरू नहीं होता है। समुद्र तल से 100 किमी (62 मील) की ऊँचाई पर स्थित पारंपरिक रूप से अंतरिक्ष संधियों में और एयरोस्पेस रिकॉर्ड रखने के लिए बाहरी अंतरिक्ष की आरम्भ के रूप में उपयोग की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की रूपरेखा बाहरी अंतरिक्ष संधि द्वारा स्थापित की गई थी, जो 10 अक्टूबर 1967 को लागू हुई थी।

किसी ब्रह्माण्डीय पिण्ड, जैसे पृथ्वी, से दूर जो शून्य है, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी भी उल्लेखनीय प्रगति को वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में की गई प्रगति एक देश और समाज की वैज्ञानिक श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा का प्रतिबिंब तो होती ही है परंतु यह प्रगति किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है और शक्तिशाली भी बनाती है। आज भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रतिष्ठा यात्रा में भारत के कई राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों तथा वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान रहा है जिनमें सुविख्यात अंतरिक्ष यात्री स्वर्गीय कल्पना चावला का अपना एक विशेष स्थान है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत की अंतरिक्ष में उपलब्धियों और योगदानकर्ताओं को स्मरण किया जाना अपेक्षित है।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के प्रवेश की कहानी 1960 के दशक में प्रारंभ होती है और वैसे यही समय विश्व के शक्तिशाली देशों के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में गतिविधियों का प्रारंभिक दौर भी है। अन्तरिक्ष में खोज करने लायक साधन बीसवीं सदी में ही जुट पाए। 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक समय था जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष अन्वेषण की दौड़ में सबसे आगे थे। शेष विश्व के साथ भारतीयों के लिए भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करने का लगभग असंभव था। अमेरिका ने इस समय संचार उपग्रह के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक का सारे विश्व में सीधा प्रसारण कर तहलका मचा दिया था।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई ने उसी समय अनुभव कर लिया कि आने वाले समय में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज और देश के विकास के नए सोपान रखे जाएंगे। अहमदाबाद में भौतिकी शोध प्रयोगशाला की स्थापना के बाद डॉक्टर साराभाई इसके निदेशक बने और योग्य, तीक्ष्ण-बुद्धि वैज्ञानिकों के एक समर्पित समूह के रूप में भारत के अंतरिक्ष प्रगति की यात्रा प्रारंभ हुई।

1961 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए। 1962 में डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर भाभा के सहयोग से इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) बनी। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, रॉकेट इंजीनियरों के इस समूह के सदस्य थे। डॉ. साराभाई के नेतृत्व में तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) की स्थापना की गई। इस कमेटी से ही इसरो नामक संगठन अस्तित्व में आया जो तब से लेकर आज तक भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों का आधारभूत केंद्र बना हुआ है।

अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में डॉ. कलाम ने लिखा है कि थुम्बा में अंतरिक्ष केंद्र के लिये चुनी गई जगह वहां की रेलवे लाइन और समुद्री तट के बीच स्थित थी। इस क्षेत्र के भीतर एक बड़ा चर्च खड़ा था जिसकी साइट का अधिग्रहण किया जाना था। यह चर्च ही थुम्बा स्टेशन की पहली इकाई के रूप में बना और बाद में इसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। पहला रॉकेट 21 नवंबर, 1963 को यहां से लॉन्च किया गया था। डॉ. कलाम लिखते हैं कि रॉकेट को चर्च की इमारत में असेम्बल (इकट्ठा) किया गया था। यह प्रक्षेपण कई लोगों के लिए एक चमत्कार था और इसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की ऐतिहासिक शुरुआत को चिह्नित किया।

वर्ष 1975 तक की यात्रा में भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए देश के कई शोध तथा विकास केंद्र स्थापित कर चुका था। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से पूरी तरह स्वदेशी पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसके बाद टीवी को आमजन तक पहुंचाने के लिए 'इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम' (INSAT) का रास्ता खुल गया। अप्रैल, 1984 में भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन लीडर रहे राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी ने अन्तरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से बातचीत करते हुए यह पूछा कि अन्तरिक्ष से भारत कैसा दिखता है तो राकेश शर्मा ने उत्तर दिया- "सारे जहाँ से अच्छा"। राकेश शर्मा के इस उत्तर ने तमाम भारतीयों को आल्हादित और रोमांचित कर दिया था।

इसके बाद भारत ने अन्तरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी पर भी ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर अमेरिका आदि देश अपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहते थे और भारत जैसे विकासशील

देश के साथ तकनीक आदि का ज्ञान बाँटने में संकोच करते थे। संघर्ष के बाद ऐसा समय आया जब भारत ने 2008 में अपना पहला चंद्र मिशन अर्थात चंद्रयान 1 लॉन्च किया था और इसके कुछ ही वर्षों बाद भारत ने 2014 में मंगलयान भी लॉन्च किया। वर्ष 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और भारत को अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में स्थापित कर दिया। वर्ष 2023 में भारत ने चन्द्रयान-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके समूचे विश्व में अपना एक अलग स्थान बना लिया है। भविष्य में भारत को प्रथम अंतरिक्ष मानव स्वदेशी मिशन और 2050 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन विकसित करना है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) के पास अंतरिक्ष में शोध अध्ययन के लिए समर्पित और विकसित कई सुविधाएं हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), तिरुवनंतपुरम, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), अहमदाबाद तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) के द्वारा अन्तरिक्ष शोध तथा तकनीकी विकास के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रौद्योगिकियों का डिजाइन और विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी अवलोकन, संचार, नेविगेशन, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए उपग्रहों और संबंधित प्रौद्योगिकियों का डिजाइन और विकास करने का दायित्व इसी का ही है।

दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और विकासात्मक अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) कार्यक्रम का विकास इसरो का उल्लेखनीय कार्य है कि आज भारत की जनता विभिन्न सेटलाइटों के माध्यम से मनोरंजन और ज्ञान के कार्यक्रम देख पा रही है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष आधारित इमेजरी का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण की निगरानी के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट (आईआरएस) कार्यक्रम भारत के भौतिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ, इसरो द्वारा सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग तथा अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज में अनुसंधान और विकास का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

*****

ज़मीन

श्रीमती हेमलता गुप्ता,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

कभी महसूस करती हूँ अचानक ही जैसे

बहुत कच्ची है ये ज़मीन

तुम्हारे हमारे रिश्ते की

जरा सी ठेस, छोटा सा मतभेद

नामालूम सी शिकायत या बेवजह तकरार...

और यकायक

यह ज़मीन सरक जाती है जैसे

पैरों के तले से और

देखते ही देखते महसूस करती हूँ

जैसे गिर रही हूँ

किसी अंधेरी गहरी खाई में मैं...

बार बार, हर बार

पुकारती हूँ तुम्हें

और खामोश दीवार से तुम

अनसुनी हो जाती है

हर पुकार मेरी

अचानक लगने लगते हो जैसे

मीलों दूर खड़ा अजनबी कोई...

मैं बेचैन सी

फिर ढूँढने लगती हूँ

इस अजनबी मुखौटे में चेहरा तुम्हारा...

उन बदलते हुए चेहरों में ढूंढती हूँ

वही चेहरा फिर

जिसके साथ सदियों का वक्त

लम्हों में है गुज़ारा...

तुम्हारे हमारे इस रिश्ते का हर गुज़रा लम्हा

हर आने वाली उम्मीद से सँजोया लम्हा

भरभरा कर टूटता है जैसे

एक लम्हे में

मेरी हथेली पर...

मुट्ठियों से फिसली रेत की तरहा

और बिखर जाती हूँ मैं...

जैसे काँच का महल

महज़ यही गुजारिश है तुमसे मेरी

कि मुझसे मुरव्वत

भले तुम चाहे कितनी भी कम कर लो मगर

कुछ ठोस कर दो ज़मीन

तुमसे इस रिश्ते की मेरी॥

*****

विनाशकरी कोरोना

श्रीमती अनुश्री विश्वकर्मा,
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

सोचा न था कभी वक़्त धरा पर,
ऐसा प्रलयकारी भी आयेगा !
जन मानस का जीवन,
मृत्यु के खौफ से भर जायेगा!!

संपूर्ण विश्व हो अस्त व्यस्त,
बेबस सा बिखर जायेगा !
एक तुच्छ जीव प्रकृति का,
विनाश का खेल दिखायेगा !!

जीवन में अनन्त पलों की फुरसत,
लायेगी अंतहीन लाचारी !
पार न होगा खाली समय,
पर बोझिल होगी लाचारी !!

हाथ छोड़कर जाते अपनों की,
अंतिम झलक को मन तरसेगा !
जब घर बाहर, चौक द्वारे सब,
मौत का अंधड़ बरसेगा !!

अभी संभल जाओ नदानों,
न खेलो प्रभु की प्रकृति से !
वरना इस विनाश सागर के मांझी तुम,
कैसे बचोगे कहर से सृष्टि के !!

*****

क्या बात थी

श्रीमती बबिता मणि,
कनिष्ठ अनुवादक

वो पुरानी घड़ी फिर से लौट आती तो क्या बात थी,
फिर एक बार मैं बच्ची बन जाती तो क्या बात थी।

वो मां की लोरी सुनने को मिल जाती तो क्या बात थी,
दादा-दादी से कहानियाँ फिर सुन पाती तो क्या बात थी।

गुल्लक में पैसे रखने की लत लग जाती तो क्या बात थी,
फिर खेल-खिलौनों से यारी हो जाती तो क्या बात थी।

बारिश में मस्ती करने को मिल जाती तो क्या बात थी,
फिर कागज की नाव पानी में तैराती तो क्या बात थी।

सात बज गए हैं कहकर मां चिल्लाती तो क्या बात थी,
कहां थी अबतक कहकर मां गुस्साती तो क्या बात थी।

होमवर्क करने की चिंता फिर सताती तो क्या बात थी,
आज पिटाई होगी तेरी मां कहकर डराती तो क्या बात थी।

फिर एक बार मैं नासमझ बन जाती तो क्या बात थी,
गुड्डे-गुड़ियों की लत फिर से लग जाती तो क्या बात थी।

तु-तु, मैं-मैं की दुनिया पीछे छूट जाती तो क्या बात थी,
ये जिंदगी मां की गोद में ही कट जाती तो क्या बात थी।

*****

गजल

श्री इम्तियाज अहमद,
कनिष्ठ अनुवादक

कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता,
आजकल कोई प्यार के काबिल नहीं मिलता।

डूब जाती है जिंदगी उलझनों के भँवर में,
गर आ जाए तूफाँ तो साहिल नहीं मिलता।

कहने को तो कितनी ही हैं बातें हौसला आफजाई के,
गर मुकद्दर न हो तो मंजिल नहीं मिलती।

जिसे देखा है सरेआम कत्ल करते हुए सभी ने,
क्या अचंभा है कि वो कातिल नहीं मिलता।

जमाने गुजर गए उसकी कोई चिट्ठी मिले हुए,
अब तो बताने वाला उसका कोई हाल-ए-दिल नही मिलता।

क्यूं बताएं गैरों को हाल अपने जख्म का,
अपनों के दिए जख्म का कोई मरहम नहीं मिलता।

हर चेहरा है मायूस, एक मनहूसियत सी छाई है,
खिलखिला कर हंस सके, वो जिंदादिल नहीं मिलता।

डूब जाएँ सभी यारों के साथ अपनी मस्ती में,
ऐसा कोई आज महफिल नहीं मिलता।

*****

|| जय श्री राम ||

संकेत अग्रवाल,
पुत्र श्री प्रदीप अग्रवाल, लेखापरीक्षक

यह बात है कई साल पुरानी,
जब बाबर करता अपनी मनमानी।
भारत पे वो राज चलाये,
हिन्दुओ को गुलाम बनाए।

करवाता था योह मंदिर नष्ट,
पर ये बात उसकी नहि थी स्पष्ट।
फिर अयोध्या पर उसकी नज़र पड़ी,
जहाँ करवादी उसने सेना खड़ी।

उसने राम मंदिर तो टूटवाया,
बाबरी मस्जिद बनवाया।
लीकिन धर्म पे संकट आयेगा,
तो हिन्दु भी अंगार बन जायेगा।

पर ये बात बाबर को ना पता थी,
कर दी उसने गलत गुस्ताखी।
सालो तक अत्याचार सहा,
लेकिन नही अब बर्दाश हुआ।

फिर सबने मिल जुटके बोला,
सचाई का पर्दा सामने खोला।
जब धर्म के लिए आवाज़ उठाई,
तो देश भर में हुई लड़ाई।

लेकिन राम पे बात आएगी,
तो एक बच्ची भी शेरनी बन जाएगी।
फिर 6 दिसंबर की सुबह हुई,
जहां एक नई शुरुआत हुई।

15 लाख लोग पहुंचे अयोध्या,
जहां उन्होंने ली प्रतिज्ञा।
की अब तो मस्जिद तोड़ेंगे,
या तो राम के नाम में सिमट जाएंगे।

फिर तो क्या ही होना था,
मुगलों को बैठकर रोना था।
उस दिन सब ने ठान लिया,
कि खुद को राम में समा लिया।

कोर्ट कचहरी में घूम,
मौत को प्यार से चूमे।
ईटों ने अपनी जान गवाई,
कोर्ट में हाजिरी लगाई।

लेकिन राम नाम का साथ था,
भक्ति में अपनी विश्वास था।
साल बीते मगर कुछ ना बदला,
सब हो गया अगला पिछला।

लेकिन फिर भी एक विश्वास था,
मन मे श्री राम का वास था।
फिर एक चमत्कार हुआ,
सबका दिल आसमान को छुआ।

की 27 साल बाद फैसला आया,
बाबर को जिसमें गलत ठहराया।
पूरा भारत खुशी से झूमा,
कोई किनारा नहीं रहा सुना।

फिर 5 अगस्त को शुभ आरंभ हुआ,
राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ।
अब हर साल दो दिवाली मनेगी,
एक नई परंपरा जन्मेगी।

22 जनवरी को त्यौहार मनेगा,
भारत का कोना-कोना जगमगा उठेगा।
और अंत में एक बात कहूंगा,

सालों बाद करोड़ों की प्रार्थना हुई है पूरी
इस बार श्री राम के स्वागत में नहीं रहेगी कोई कसर अधूरी।

*****

पति-पत्नी

श्रीमती शमा खातून,
पत्नी श्री एम. रहमान खान,
डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड "बी"

दो अनजाने मिलते हैं, संग-संग मिलकर चलते हैं,
सुख-दुःख के साथी हैं दोनों, गिरते और संभलते हैं।
पति का नाम भरोसा है, पत्नी का नाम समर्पण,
पती-पत्नी एक दूजे पर कर देते हैं सब अर्पण।

पति के उदास होते ही पत्नी के आँसू निकलते हैं,
सुख-दुःख के साथी हैं दोनों, गिरते और संभलते हैं।
नोक-झोक भी इस रिश्ते की एक निशानी होती है,
रूठने और मनाने से मशहूर कहानी होती है।

जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिये कभी ना बदलते हैं,
सुख-दुःख के साथी हैं दोनों, गिरते और संभलते हैं।
हम दो हमारे दो की घड़ी सुहानी आती है,
पुत्र पिता का, पुत्री माँ का बचपन फिर से लाती है।।

सोलह संस्कारों में 'विवाह' को सब शास्त्र श्रेष्ठ समझते हैं,
सुख-दुःख के साथी हैं दोनों, गिरते और संभलते हैं।
शादी का लड्डू वास्तव में अपना असर दिखाता है,
खानेवाला पछताता है और न खानेवाला ललचाता है।

खाकर पछताने में ही फायदा है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं,
सुख-दुःख के साथी हैं दोनों, गिरते और संभलते हैं।
विवाह किया है तो विश्वास करना अपने जीवनसाथी पर,
कान देखना, कौआ नहीं, बात-बात पर मत जाना लड़।

महल हो या जंगल 'सियारामजी' मिलकर रहते हैं,
सुख-दुःख के साथी हैं दोनों, गिरते और संभलते हैं।
दो अनजाने मिलते हैं, संग-संग मिलकर चलते हैं,
सुख-दुःख के साथी हैं दोनों, गिरते और संभलते हैं।

*****

कार्यालय में आयोजित ऑडिट दिवस की कुछ झलकियाँ

गोरखपुर जंक्शन